आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–50 / 2023

रेखा देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
06.04.2023	यह पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–20632 / 2018 में दिनांक 29.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2018 से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया की प्रस्तुत मामला सेविका को अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं विभागीय निदेश के विपरीत कार्य करने के लिए चयनमुक्त करने से संबंधित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता आयुक्त न्यायालय को नहीं है। उल्लेखनीय है कि सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका में सेविका / सहायिका के चयन में अनियमितता से संबंधित मामले को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय है। चुकि प्रश्नगत मामला सेविका के चयन में अनियमितता से संबंधित नहीं है, अपितु वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा विभागीय	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	नियमों/निदेशों के विपरीत आचरण करने, नवनिर्मित ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन में ऑगनबाड़ी केन्द्र को नहीं ले जाने एवं अपने निजी हित में केन्द्र का संचालन करने के कारण चयनमुक्ति से संबंधित है। इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता से पूछे जाने पर उनके द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत मामला इस न्यायालय (आयुक्त) में पोषणीय है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL